R
14.10.26

कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी।

प्रेस विज्ञप्ति

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र सं0–3339/SLSA–197/2026, दिनांकित 29.09.2026 व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ के पत्रांक 838/Mediation & Concliation Centre, Allahabad High Court, Lucknow दिनांक 05.10.2026 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में "Mediation for the Nation 3.0" अभियान के सुचारू रूप से संचालन हेतु नियम 3(b) मध्यस्थता नियमावली, 2015 MCPC के अंतर्गत 06 मध्यस्थगण की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

''इन मध्यस्थों की नियुक्ति "Mediation for the Nation 3.0" अभियान के प्रभावी रहने की अवधि तक ही प्रभावी रहेगी।''

आवेदक अर्हता:–

1. ऐसे अधिवक्ता जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।
2. सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी।
3. ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, (सेवानिवृत्त लोक सेवक, प्रधानाचार्य, बैंक अधिकारी, चार्टेड एकाउंटेन्ट एवं सामाजिक कार्यकर्ता जिनके पास अपने–अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो व जो विवादों के निपटारे का अनुभव रखते हो।

उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति दिनांक 17–10–2026 तक नियत प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत करें।

आवेदन पत्र के साथ के अनुलग्नक:–

1. अर्हता प्रमाण पत्र
2. समस्त शैक्षिक अंक एवं प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियां।
3. पहचान–पत्र की प्रति
4. 02 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।

अनर्हता–

नियम 6 मध्यस्थता नियमावली, 2015 MCPC माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत निम्न अनर्हताएं है–

Rule 6: Disqualification of persons.

The following persons shall be deemed to be disqualified for being empanelled as mediators:

(a) any person who has been adjudged as insolvent or persons

(i) against whom criminal charges involving moral turpitude are framed by a criminal court and are pending; or

(ii) persons who have been convicted by a criminal court for any offence involving moral turpitude.

(b) any person against whom disciplinary proceedings have been initiated by the appropriate disciplinary authority which are pending or have resulted in a punishment.

(c) any person who is interested or connected with the subject-matter of dispute(s) or is related to any one of the parties or to those who represent them, unless such objection is waived by all the parties in writing.

(d) any legal practitioner who has or is appearing for any of the parties in the suit or in other proceedings(s).

योग्य एवं इच्छुक अधिवक्ता निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी के कार्यालय में दिनांक 17–10–2026 तक समय सायं 05:00 बजे से व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। उपरोक्त समय के बाद प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

निर्धारित प्रारूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में समय प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं एवं जिला न्यायालय, बाराबंकी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

नोट

निर्धारित अभ्यर्थियों से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त होने पर योग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया जायेगा, जिसकी तिथि व स्थान की सूचना सम्बन्धित को नियमानुसार अलग से दी जायेगी। सेवाओं के नियमों का पालन न करने व उसका उल्लंघन करने पर, धनसम्बन्धी संलिप्तता पाये जाने पर किसी भी अपराध में अभिशंसित होने पर, राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर, सेवाओं के प्रतिपादन में असमर्थ होने व आवश्यकतानुसार सेवा करने में असमर्थ होने पर, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुपस्थित होने पर, अपने पद का स्वयं अथवा किसी अन्य के लिये अनाधिकृत रूप से विशेष लाभ उठाये जाने पर, नैतिक आचार संहिता का अतिक्रमण आदि किये जाने पर बिना किसी सूचना/नोटिस दिये सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

दिनांक—14.10.2026

संलग्न—प्रारुप ।

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी।

प्रतिलिपि—

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान् नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स को सादर सूचनार्थ एवं जिला न्यायालय बाराबंकी की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।
3. श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
4. सूचना अधिकारी बाराबंकी को दैनिक समाचार पत्रों में आवश्यक रूप से प्रकाशन हेतु।
5. प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय बाराबंकी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु।
6. जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
7. नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय बाराबंकी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी।

System error to do modify

अनुसूची–एक
मध्यस्थता और सुलह केन्द्र
(जिला _____)
(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

1. नाम:
2. पिता का नाम:
3. पता:
 (क) कार्यालय:
 (ख) निवास:
4. दूरभाषसंख्या:
 (क) कार्यालय:
 (ख) निवास:
5. मोबाइलसंख्या:
 (क) कार्यालय:
 (ख) निवास:
6. ई-मेल आईडी:
7. शैक्षणिक अर्हताएँ:
8. व्यावसायिक अर्हताएँ और अनुभव:
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो:
10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो:
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक:
 (केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)
12. क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है?
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है?
14. क्या आपको दिवालिया न्याय निर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है?
15. क्या आपके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की गयी हैं, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है?

मैं, एतद्द्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और 3(b) मध्यस्थता नियमावली, 2015 MCPC के अधीन पैनल में रखे जाने के लिए अपनी सहमति देता हूँ।

मैं, घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

पूर्ण हस्ताक्षर:

दिनांक: